न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2024 (राजसमन्द आर्डर)

गोपीबाई पत्नी रूपा जी, जाति गुर्जर, निवासी करतवास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मिठू पुत्र वरदा जी, जाति गुर्जर, निवासी करतवास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. पटवारी, पटवार हल्का गलवा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी आमेट दि.
25.01.2023 प्रकरण संख्या 30/2022

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री आर. एल. राव अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री चावण्डसिंह शक्तावत अभिभाषक रे.सं. 1

–––::–––

निर्णय **दिनांक 20–06–2024**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम करतवास में आराजी नंबर 471 रकबा 0.1300 हैक्टर स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है। उक्त आराजी के आगे विपक्षी संख्या 1 की आराजी नंबर 475 रकबा 0.2500 हैक्टर है, जिस पर बने रास्ते से प्रार्थी अपने पूर्वाधिकारियों के समय से अपनी कृषि भूमि पर आता जाता है। विपक्षी संख्या 1 की भूमि के सटमा आराजी नंबर 476 है, जो आम रास्ता है। विपक्षी संख्या 1 ने आराजी नंबर 475 पर दीवार बनाकर मुझ प्रार्थी के खेतों पर आने जाने का रास्ता बन्द कर दिया है, प्रार्थी अपनी फसल नहीं बो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

पा रहा है। प्रार्थी के खेतों आने जाने हेतु एक मात्र यही रास्ता उपलब्ध है, जो 12 फिट चौड़ा होकर काफी वर्षो से मौजूद है। अतः उक्त रास्ता कायम कराया जावे। प्रार्थी डी.एल.सी. दर से राशि जमा कराने को तैयार है।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25–01–2023 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील दिनांक 01–03–2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री चावण्ड सिंह शक्तावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की नकल अपीलान्ट को दिनांक 26–02–204 को प्राप्त हुई इसलिए अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यदि कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न हो, तो ही नया मार्ग दिये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के खेत पर जाने के लिए आराजी नंबर 456, 458 व 559 के पश्चिम तरफ रास्ता मौजूद है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है वह दुरभिसंधि से प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुंचाने की गरज से तैयार की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट के खेतों में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय ने डी.एल.सी. दर से दुगनी राशि अदा करने की शर्त पर उक्त रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 24–11–2022 के बिन्दु संख्या 3 में तहसीलदार आमेट ने स्पष्ट अंकित किया है कि ''चाहे गये रास्ते के अलावा वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।'' विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो वहां धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आधारों पर ही प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 25–01–2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 20–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested